In the Court of Addl. Sessions Judge-II, Rosera(Samastipur)
S.T. No. 172/1999
C.I.S. No.-459/2014

17.01.2024 सभी दो अभियुक्तगण दुर्गनंदन महतो उर्फ भरत उर्फ ब्रत एवं पप्पू शर्मा उर्फ सुजीत अनुपस्थित हैं। उनके विरुद्ध निर्गत धारा 82 एवं 83 दं0प्र0सं0 के आदेशिका का तामिला अप्राप्त है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद के सभी दो अभियुक्तगण काफी लंबी अवधि से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इनकी उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त प्रकिया किया जा चुका है। परन्तु इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु पर्याप्त प्रक्रिया अपनाई गयी है। इसके पश्चात् भी अभियुक्तगण इस वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं। सभी दो अभियुक्तगण की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद के अभियुक्तगण इस न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। न्यायालय द्वारा भी अभियुक्तगण को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। अभियुक्तगण की लंबी अनुपस्थिति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण का इस मामले में उपस्थित होना अपेक्षित है।

अभियोजन पक्ष इस संदर्भ में कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इस वाद के सभी दो अभियुक्तगण **दुर्गनंदन महतो उर्फ भरत उर्फ ब्रत एवं पप्पू शर्मा उर्फ सुजीत** को फरार घोषित किया जाता है तथा इनके विरुद्ध स्थायी अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय।